बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक–पि0व0/4/आ0क0वि0नि0 एवं जी0–37–01/2018– 71 पटना, दिनांक– 04/09/25

प्रेषक,

एच0 आर0 श्रीनिवास (भा0प्र0से0),

प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषयः– सारण जिलान्तर्गत 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–55 दिनांक–28.12.2017 के द्वारा प्राक्कलन राशि रू0 25,64,00,000/–(रु0 पचीस करोड़ चौसठ लाख) मात्र तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–62 दिनांक–18.08.2022 के द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि रू0 50,36,51,000/– (रु0 पचास करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार) मात्र पर दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द करते हुए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से नये सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन रू० 61,20,34,000/–(रू0 इक्सठ करोड़ बीस लाख चौंतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः स्वीकृत।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–55 दिनांक–28.12.2017 द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवनों (520 आसन) का निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के अनुसार राज्य स्कीम से प्रति विद्यालय रू0 25,64,00,000/– (रु0 पचीस करोड़ चौसठ लाख) मात्र की दर से 04 जिलों यथा–रोहतास, सारण, पूर्णियाँ एवं समस्तीपुर में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण हेतु कुल लागत रू0 1,02,56,00,000/– (रू० एक सौ दो करोड़ छप्पन लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें सारण जिला भी सम्मिलित है।

3. पुनः CPWD Plinth Area Rate 2021 के आधार पर राशि में वृद्धि होने के कारण विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–62 दिनांक–18.08.2022 के द्वारा कुल राशि रू0 50,36,51,000/– (रु0 पचास करोड़ छतीस लाख इक्यावन हजार) मात्र के तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–2382 दिनांक–13.06.2025 एवं पुनः पत्रांक–3045 दिनांक–22.07.2025 के द्वारा उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु विभिन्न मदों में वृद्धि हो जाने एवं नये प्रावधानों को सम्मिलित किये जाने का कारण उल्लेखित करते हुए पूर्व में प्रदत्त रू0 50,36,51,000/– (रु0 पचास करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार) मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द करते हुए कुल तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि रू0 61,20,34,000/–(रू0 इक्सठ करोड़ बीस लाख चौंतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

5. अतः सम्यक् विचारोपरान्त सारण जिलान्तर्गत 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–55 दिनांक–28.12.2017 के द्वारा प्राक्कलन राशि रू0 25,64,00,000/–(रु0 पचीस करोड़ चौसठ लाख) मात्र तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–62 दिनांक–18.08.2022 के द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि रू0 50,36,51,000/– (रु0 पचास करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार) मात्र पर दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द करते हुए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से नये सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन रू० 61,20,34,000/–(रू0 इक्सठ करोड़ बीस लाख चौंतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उपर्युक्त नये सिरे से प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में कुल राशि रू0 61,20,34,000/–(रु0 इक्सठ करोड़ बीस लाख चौंतीस हजार) मात्र का व्यय बजट उपलब्धता के अनुसार आगामी 02 वित्तीय वर्षों में किया जायेगा।

7. उक्त 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का भवन निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में तैयार विस्तृत कार्य परियोजना (DPR) के अनुरूप किया जाएगा एवं संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को विस्तृत कार्य परियोजना (DPR) की एक प्रति सौंपेंगे। विस्तृत

कार्य परियोजना (DPR) तैयार करने वाले एजेंसी का दायित्व होगा कि निर्माण कार्य, फर्निशिंग एवं अनुरक्षण गुणवत्तापूर्ण हो। निर्माण कार्य अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। निर्माण कार्य 02 वित्तीय वर्षों में पूर्ण करते हुए सक्षम प्राधिकार को विद्यालय भवन का विधिवत् हस्तांतरण किया जाऐगा।

8. इस योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 मुख्य बजट शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य –लघु शीर्ष 051–निर्माण– उपशीर्ष–0118–पिछड़े वर्गो के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार विपत्र कोड–03–4059800510118 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

9. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10. इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। वह राशि की निकासी कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पी0एल0 खाता में स्थानान्तरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे एवं इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को देंगे।

11. इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गयी राशि की उपयोगिता की सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

12. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–02.09.2025 में मद संख्या–13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

04/09/25

(एच0 आर0 श्रीनिवास)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– पि0व0/4/आ0क0वि0नि0 एवं जी0–37–01/2018– 71 पटना, दिनांक– 04/09/25

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–02.09.2025 में मद संख्या–13 के रूप में सम्मिलित प्रस्ताव एवं स्वीकृति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(3) सचिव, भवन निर्माण विभाग/अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण/जिला पदाधिकारी, सारण/उप विकास आयुक्त, सारण/उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सारण प्रमंडल, सारण/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(6) माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(7) आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/09/25

प्रधान सचिव।